

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 5(5)गृह-1 / 2015

जयपुर, दिनांक : 31.10.2019

आदेश

श्री मदन लाल रॉयल के विरुद्ध महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर के आदेश क्रमांक 1000-05 दिनांक 18.07.2013 के द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भविष्य प्रभाव के अवरुद्ध करने के पारित दण्डादेश को अपीलादेश क्रमांक प. 10(123)गृह-11 / 2015 दिनांक 26.11.2018 के द्वारा अपास्त किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला पद की वर्ष 2018-19 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.07.2018 की अभिशंषा का पुनरावलोकन किया गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की रिव्यू बैठक दिनांक 10.10.2019 की अभिशंषा के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला पद की वर्ष 2018-19 की रिक्ति के विरुद्ध श्री मदन लाल रॉयल पुत्र श्री रामनारायण रॉयल (सामान्य) को एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री हनुमन्त सिंह भाटी/उमेद सिंह (सामान्य) के नाम के नीचे एवं श्री सुरेश शर्मा/सत्यनारायण, सूची में से सामान्य वर्ग की अन्तिम चयनित अधिकारी श्रीमती चेतना भाटी/हनुमन्त सिंह (सामान्य) का नाम विलोपित किया जाता है।


यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। श्री मदन लाल रॉयल पुत्र श्री रामनारायण रॉयल (सामान्य) अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Eo
(गुरु प्रसाद शर्मा)
सहायक शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।


सहायक शासन सचिव, पुलिस